प्रेस-विज्ञप्ति **03.11.2015**

भारत सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित जी.एस.टी पर कार्यशाला

दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को सायं 03:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित जी.एस.टी. की जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 को नयी दिल्ली में भारत सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमिटी द्वारा जी.एस.टी. पर बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उत्तर भारत के उद्यमीगण एवं व्यापारीगण भी उपस्थित थे।

जी.एस.टी. को प्रभावी करने के लिए एम्पावर्ड कमिटी द्वारा बनाई गयी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंशो को कानपूर के विभिन्न वक्ताओं द्वारा कानपुर के उद्यमीगण एवं व्यापारीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रस्तावित जी.एस.टी. की रूप रेखा की बारे में उद्यमी एवं व्यापारी जागरूक हो सके।

डॉ. इन्द्र मोहन रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने, सबका स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन के पश्चात मर्चेंट्स चैम्बर के व्यापारी एवं उद्यमियों के सुझाव आमंत्रित करता है जिसे ईमेल द्वारा चैम्बर को भेजा जा सकता है।

श्री संतोष कुमार गुप्ता जी ने जी.एस.टी में निहित पंजीकरण प्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए एक पॉवर-पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया तथा लोगो को प्रस्तावित जी.एस.टी की ब्रेम भली-भाति अवगत कराया।

श्री नरेंद्र शर्मा जी ने भुगतान प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं संविधान के 122वें संसोधन के बारे में बताया की जो की लोकसभा में पारित हो चुका है। भारत जो की राज्यों का एक संघ है, जिसमें राज्यों का मूलभूत अधिकार है। जिनको किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है अतः संशोधन पास होने के पश्चात ही यह आशा करना की राज्य व् केंद्र अपना-अपना राजस्व का अधिकार देगा, एक भ्रान्ति है। इस कारण अन्य देशो की भांति जहाँ पर संघ नहीं है, यहाँ पर सिंगल विंडो नहीं हो पायेगा।

अधिवक्ता धर्मेन्द्र श्रीवास्तवा जी ने रिटर्न प्रणाली पर प्रकाश डाला जिसमें उन्होंने रिटर्न फाइल के तहत होने वाली अनगिनत परेशानियों का वर्णन किया। उन्होंने यह कहा की प्रणाली पूर्णतया ऑनलाइन है इसीलिए इसमें टैक्स रिटर्न प्रीपेयर को नामित किया गया है।

श्री अमित अवस्थी जी ने रिफंड प्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन किया और विशेषतयः अपील करते समय जमा किये जाने वाली राशि पर प्रतिरोध जताया।

उन्होंने यह भी बताया की दिसम्बर माह में जी.एस.टी. के एम्पावर्ड कमिटी के दो सदस्यों को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में बुलाने का प्रस्ताव है जिसमे वे जी.एस.टी. से उत्पन्न होनी वाली समास्याओ के बारे में बतायेंगे एवं ज्ञापन भी सौपेंगे।

श्री अभीजीत गुप्ता, जो की श्री सिताभ मोहम्मद, ऐडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, के साथ आये थे ,

ने बताया की यह प्राणाली उतनी जटिल नहीं है जितना की अधिवक्ता धर्मेन्द्र श्रीवास्तव जी ने बताया।

जो कुछ भी कमिया इसमें है वह आपके सुझाव के अनूसार दूर की जायेंगी।

श्री श्याम बिहारी मिश्रा, अध्यक्ष, अखिल भारती उद्योग व्यापार मंडल, ने इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से

जी.एस.टी. प्रणाली के सरलीकरण के बारे में अपनी पार्टी से वार्तालाप करने का आश्वाशन दिया। और

यह भी बताया की इस तरह की जी.एस.टी. प्रणाली लागू न होने देने के लिए कटीबद्ध है।

आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री सिताभ मोहम्मद, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, ने कहा की प्रस्तावित सुझावों को चैम्बर इकट्ठा कर उनको प्रेषित करे।

मर्चेंट्स चैम्बर ने सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध किया की यदि किसी को भी एम्पावर्ड कमिटी द्वारा प्रस्तावित जी.एस.टी. रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक-प्रति (सॉफ्ट-कॉपी) चाहिए वह चैम्बर की ई-मेल आई.डी. **merchantschamberup@gmail.com /info@merchantschamberup.com** पर संपर्क कर सकता है ।

प्रश्नोत्तर काल में प्रतिभागियों ने जी.एस.टी. पर अपने संशय को दूर किया।

श्री पदम् कुमार जैन, उपाध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने धन्यवाद-प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपस्थित गणमान्य: श्री शेष नारायन त्रिवेदी, मोहम्मद ऐकलाख, अधिवक्ता, श्री.ऐ.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., अन्य संस्थाओं के सदस्य, उद्यमीगण एवं व्यापारीगण भी उपस्थित थे